दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्टीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

क्रमाकः-पी.सी. /ए.सी.क्यू-79/2018/ डी-33 दिनांक- 16/3/18

श्री मनजिन्दर सिहं सिरसा द्वारा पूछे गए प्रश्न संख्या 79 के उत्तर निम्नलिखित हैं-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
क	दिल्ली में डी0यू0एस0आई0बी0 के अन्तर्गत कितने सामुदायिक भवन हैं:	डी0यू0एस0आई0बी0 के अन्तर्गत 194 सामुदायिक भवन हैं।
ख	इनमे से कितने समुदाय भवनों को एनजीओ को किराये पर दिया गया है:	बोर्ड के गठन से पहले 31 एन जी ओ को सामुदायिक भवन किराये पर दिये गए है।
ग	इन समुदाय भवनो को किराये पर देने की क्या नीति है:	वर्तमान में सामुदायिक भवन को गैर सरकारी संस्था के आवंटन की कोई नीति नही है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के गठन के बाद सामुदायिक भवन का कोई भी आवंटन किसी गैर सरकारी संस्था को नही किया गया है सामुदायिक भवन का इस्तेमाल सामाजिक कार्य/ शादी,ब्याह इत्यादि के लिए प्रतिदिन बुकिंग के आधार पर किया जाता है।
घ	क्या यह सत्य है कि कुछ एनजीओ नियमित रुप से किराये का भुगतान नही कर पा रहे हैं:	जी हाँ।
च	यदि हाँ तो उन पर कितनी राशि बकाया है: और	जो एनजीओ राशि का भुगतान नही कर पा रहे है उनकी कुल देय राशि का विवरण वर्तमान में उपलब्ध नही है जिसे एक महीने में उपलब्ध करा दिया जाएगा।

छ	सरकार उनसे यह राशि वसूलने के लिए क्या कदम उठा रही है?	पिछले एक वर्ष में 24 नोटिस दिए गए हैं। वसूली की प्रक्रिया के लिए संबंधित शाखा अपने रिकोर्ड से देखने के पश्चात, लाइसेंस फीस देय न होने की स्थिति मे कारण बताओ नोटिस के लिए अपने सहायक निदेशक एवं उपनिदेशक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। नोटिस देने के पश्चात जिन एनजीओ का पैसा बकाया होता है सरकार उससे पैसे वसुलने हेतु कलैक्टर/सहायक कलैक्टर के सम्मुख ब्यौरा पेश कर लैण्ड रिवेन्यु अधिनियम के तहत रिकवरी सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाता है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।

उप निदेशक (संसद कक्ष)

उप सचिव (स.शा)
दिल्ली सरकार दिल्ली सचिवालय
नई दिल्ली 2